

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ० प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 13 जुलाई 2022

विषय- जनपद-फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि० द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-46) के किमी० 64.000 से किमी० 57.000 के मध्य दायी पटरी पर एवं जहानाबाद-अमौली मार्ग के किमी 000.000 से 10.000 के मध्य बायी पटरी पर कुल लंबाई 17.000 किमी० में एच०डी०डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12''(300 एम एम) ब्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.850 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइप लाइन/149748/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-3364/11-सी/-एफपी/यूपी/ पाइपलाइन/149748/2021, दिनांक 30-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के चैप्टर-4 के बिन्दु- 4.2 तथा पत्र संख्या-एफसी-11/165/2019/एफसी, दिनांक 27-7-2020, पत्र सं०-II/एफ०सी०/आर०ओ०सी०/95-2015(Part-vi, दिनांक 22.11.2021 एवं पत्र दिनांक 03.11.2021 में विहित प्राविधानों के क्रम में जनपद-फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि० द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-46) के किमी० 64.000 से किमी० 57.000 के मध्य दायी पटरी पर एवं जहानाबाद-अमौली मार्ग के किमी 000.000 से 10.000 के मध्य बायी पटरी पर कुल लंबाई 17.000 किमी० में एच०डी०डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12''(300 एम एम) ब्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.850 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती हैं-

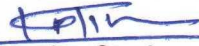
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portel.
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.

5	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6	No labour camps shall be established on the forest land.
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).
13	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
14	पाइप लाइन /टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
17	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की

	वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
20	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी ⁰ तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।
24	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा ⁰ उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
27	नोडल अधिकारी, 30 ^{प्र०} द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
29	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु

	परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।
31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
32	परियोजना में 12 इंच व्यास कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन०पी०वी० का भुगतान किया जायेगा।
33	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
34	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- (2) वन संरक्षक, क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज।
- (3)- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
- (4)- प्रभागीय निदेशक सा०वा० प्रभाग, फतेहपुर।
- (5)- चीफ रीजनल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लि० 808-810 8वां तल ए 14/13 कान चेंबर सिविल लाइंस कानपुर।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आर०पी०सिंह)

अनुसचिव